

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प... काठेडा

क्रमांक: राजस्व/PHKS/2022/4

दिनांक: 17/06/22

दि. नं. 112/2022

आदेश

आवेदक श्री सुन्नीलाल पुत्र लालाराम रेगर ने
तहसील कोटखावड़ा में ग्राम काठेडा (जयपुर) स्थित आराजी
खान रकबा के संबंध में जमाबन्दी
सम्बन्ध के खाता संख्या 41, 42, 71 पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
काठेडा (जयपुर) की जमाबन्दी के खाता संख्या 41, 42, 71 की प्रविष्टि के
स्थान पर सुन्नीलाल पुत्र लालाराम रेगर
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावड़ा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंका की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का काठेडा (जयपुर) की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावड़ा
की अभिशंका के आधार पर प्रार्थी श्री सुन्नीलाल पुत्र
श्री लालाराम रेगर जाति रेगर निवासी
काठेडा (जयपुर) तहसील कोटखावड़ा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बन्ध 2076-2079
के खाता संख्या 41, 42, 71 में अंकित प्रविष्टि सुन्नीलाल पुत्र
लालाराम रेगर के स्थान पर सुन्नीलाल पुत्र
लालाराम रेगर किए जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिवाजी प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

क्रमांक: राजस्व/PHKS/2022/5-6

दिनांक: 17/06/22

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार चाकसू
2. पटवारी हल्का काठेडा (जयपुर)

शिवाजी प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)